तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

[illegible] द्वारा फायदली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा जोरदार प्रार्थना पत्र फायदली तलब करने व निर्देशन देने की उम्र वाद में कोई कार्यवाही करी चाहते हैं। साथ ही सहमति साथ अपने हस्ताक्षर भी किये हैं। इसलिए वादी अपने वाद को नेगेटिव में खारिज करवाना चाहता है। वादी के निवेदन पर वाद को वादी के खारिज होने पर वाद नेगेटिव खारिज किया जाता है। फायदली फैसले हेतु नकल के लिए वादी को प्रार्थी को एक माह बाद हो।

(रमेश)
Notary
[illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मुण्डावर

[illegible]/4/26

आज पत्रावली प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनांक तय की। आज उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक वाद प्रार्थी के निवेदन पर मीडिया Press में [illegible] प्रकाशित होने से संबंधित एक प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA का कोई औचित्य नहीं था। इस संबंध में एक पत्र धारा 212 RTA का मीडिया Press में संबंधित कुछ पत्रावली के कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण होने के बाद फिर संलग्न एक वाद रहे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)